प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 43/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया

नई दिल्ली, 29 जून, 2020 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 26 जून, 2020 को अपने क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर और कोलकाता के जरिये ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया है।

2. भादूविप्रा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना है। इस उद्देश्य के लिए, भादूविप्रा देश के विभिन्न हिस्सों में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित करता है। कोरोना वायरस महामारी की वर्तमान स्थिति में, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें उपभोक्ता अपने घर, दुकान या कार्यालय में बैठकर शामिल हो सकते हैं।

3. इस श्रृंखला में क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर और कोलकाता के जरिये ऑनलाइन मोड के माध्यम से 26 जून, 2020 को उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

जयपुर, राजस्थान

इस कार्यक्रम में, राजस्थान राज्य के दूरसंचार उपभोक्ताओं के अलावा, राजस्थान के विभिन्न हिस्सों के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के प्रभारियों, उपभोक्ता पक्षसमर्थक समूह (सीएजी) के प्रतिनिधि, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधि सरकार के अधिकारियों और जनता ने बड़ी संख्या में भाग लिया ।

आसनसोल, पश्चिम बंगाल

क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता ने आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ मिलकर कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें आसनसोल के अन्य उपभोक्ताओं के अलावा पक्षसमर्थक समूह (सीएजी) के प्रतिनिधि, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधि और सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया ।

4. कार्यक्रम के दौरान, उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाओं के विभिन्न पहलुओं अर्थात मूल्य वर्धित सेवाओं (वीएएस), अनचाही वाणिज्यिक संचार (यूसीसी), मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, शिकायत निवारण तंत्र, डेटा सेवाओं के संबंध में उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया गया था। उपभोक्ताओं को विभिन्न मोबाइल ऐप जैसे ट्राई माई–स्पीड ऐप, ट्राई माय–कॉल ऐप और ट्राई द्वारा विकसित डीएनडी 2.0 ऐप, भादूविप्रा विश्लेषण पोर्टल और उपभोक्ता इन ऐप/पोर्टल का लाभ कैसे उठा सकते हैं, के बारे में बताया गया, जो उपभोक्ता सशक्तीकरण के लिए विकसित किए गए हैं । उपभोक्ताओं को टॉवर धोखाधड़ी और आईएसडी नंबरों से मिस्ड कॉल और इसके संबंध में सावधानी बरतने के बारे में भी बताया गया।

5. उपभोक्ताओं को प्रसारण एवं केबल टीवी विनियमों में हाल में किए गए संशोधनों (दिनांक 01.01.2020) और उपभोक्ताओं को इससे होने वाले लाभों के बारे में भी बताया गया जैसे 1) कम एनसीएफ पर अधिक चैनल, 2)बहु–टीवी वाले घरों में अतिरिक्त टीवी कनेक्शन के लिए एनसीएफ का 40 प्रतिशत, 3) बुकों की स्पष्टता 4) दीर्घकालिक सब्सक्रिप्शन के फायदें आदि। भादूविप्रा ने उपभोक्ताओं के लिए लाभ के लिए 25 जून को चैनल सलेक्शन एप शुरू किया है जो उन्हें अपने सब्सक्रिप्शन को देख सकते हैं, चैनल शामिल/हटा सकते हैं और अपनी पसंद को अधिकतम कर सकते हैं। इस संदर्भ में भादूविप्रा द्वार चैनल सलेक्शन एप पर तैयार एक वीडियो उपभोक्ताओं के फायदे के लिए दिखाया गया ।

6. इंटरैक्टिव सत्रों के दौरान श्री विनोद गुप्ता, सलाहकार क्षेत्रीय कार्यालय (जयपुर) और श्री सौविक कुमार दास, सलाहकार, क्षेत्रीय कार्यालय (कोलकाता) द्वारा प्रतिभागियों के कई सवालों के जवाब दिए गए।

7. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, श्री संजीव बंजाल, सलाहकार (सीए और आईटी), भादूविप्रा से टेलीफोन 011–23210990 या ईमेल आईडीः advisorit@trai.gov.in द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

<u>अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।</u>